O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. ....
Date 30 MAY 2023
CSPTCL

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

सी.आई.एनः– **U40108CT2003SGC015820**

कार्या :– मुख्य अभियंता (मा0सं0)

क्रमांक :– 01–01 / अ.प्र.क. / 02 / 2023 / 2677 रायपुर, दिनांक 22 MAY 2023

(अपील प्रकरण कमांक 02 / 2023)

श्री कृपाराम सक्सेना अपीलार्थी
चांपा

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

–:: आदेश ::–

(दिनांक 22/05/2023 को पारित)

अपीलार्थी श्री कृपाराम सक्सेना द्वारा यह लेख करते हुए कि मूल आवेदन के सदर्भ में धारा 5(4) का अनुपालन करने स्पष्ट निवेदन है के बाद भी आवेदक के सूचनाधीन मूल आवेदन मुख्य अभियंता के संज्ञान में नहीं लाना कानून का मजाक है। अतएव सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है।

(2) – प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :–

(I)	सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी / दस्तावेज ।	श्री कृपाराम सक्सेना द्वारा आवेदन कमांक पी / 86 दिनांक 07.02.2023 के माध्यम से 03 बिन्दुओं में निम्नलिखित जानकारी चाही गई है :– (अ) श्रीमती मर्सी सक्सेना का पत्र कमांक 78 दिनांक 06.02.2023 में की गई कार्यवाही की जानकारी। (ब) श्रीमती मर्सी सक्सेना का पत्र कमांक 78 दिनांक 06.02.2023 में कार्यवाही प्रकियाधीन हो तो कृपया उस दस्तावेजों की छायाप्रति देने की कृपा करे जिसमें कार्यवाही प्रकियाधीन होने की जानकारी लेख है। (स) वांछित जानकारी नहीं देने की स्थिति में उस नीति–नियम की छायाप्रति प्रदान करने का निवेदन है जिसके अंतर्गत उक्त सरल कमांक एक–दो की जानकारी धारा 7(1) पर नहीं दी जा सकती है।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील व कारण :–	मूल आवेदन के सदर्भ में धारा 5(4) का अनुपालन करने स्पष्ट निवेदन है के बाद भी आवेदक के सूचनाधीन मूल आवेदन मुख्य अभियंता के संज्ञान में नहीं लाना कानून का मजाक है। इस हेतु कानून में क्षमा / समझाईस का प्रावधान नहीं है। कार्यवाही जरूरी है। अधिनियम की धारा 19(8) ख 7(6) 20(1)(2) के अंतर्गत निष्पक्ष न्याय विषयक प्रार्थना पत्र सादर प्रस्तुत है।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :–

		12.04.2023	निर्धारित तिथि के संबंध में अपीलार्थी को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया। नियत तिथि को जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहें। अतः अपील में सुनवाई की कार्यवाही नहीं की जा सकी।
		01.05.2023	अपीलार्थी को नियत तिथि के संबंध में दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया। अधोहस्ताक्षकर्ता द्वारा जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी को अपील सुनवाई में उपस्थित होने बाबत् बुलावा भेजा गया। निज सहायक द्वारा अपीलार्थी से निवेदन किया गया कि अपील सुनवाई कक्ष में प्रवेश करने के पूर्व वह अपना मोबाइल बंद करके उपस्थित होवें। उक्त निवेदन से क्रोधित होकर अपीलार्थी सुनवाई कक्ष में उपस्थित हुए बगैर ही कार्यालय से बाहर चले गए। अतः अपीलार्थी के कृत कार्य से यह सिद्ध होता है कि वह अपील सुनवाई के सभी तर्क/कथन को अपने मोबाइल में रिकार्ड करना चाहता था। अपीलार्थी द्वारा किया गया व्यवहार अशोभनीय है। सुनवाई में जनसूचना अधिकारी उपस्थित हुए। अतः अपील में गुण–दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।
(IV)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क /कथन :–		तालिका 01 में अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार जानकारी के संबंध में धारा 5(5) के अनुसार संबंधित प्रभाग के **DPIO** अधीक्षण अभियंता (मा.सं.) से सहायता ली गई। तत्संबंध में **DPIO** द्वारा बिन्दुवार जानकारी 01 पृष्ठ में उपलब्ध करायी गई है जो निम्नानुसार है :– <u>बिन्दु क्रमांक 01</u> – कोई कार्यवाही नहीं की गई है। <u>बिन्दु क्रमांक 02</u> – बिन्दु 02 की जानकारी बिन्दु 01 के उत्तर में समाहित है। <u>बिन्दु क्रमांक 03</u> – जानकारी बिन्दु क्रमांक 01 के उत्तर में समाहित है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1383 दिनांक 14.03.2023 के माध्यम से अपीलार्थी को उक्त बिन्दुवार जानकारी/ सूचना से निर्धारित समयावधि के भीतर अवगत करायी गई है।

(3) – प्रकरण में आये तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा तालिका 01 में चाही गई बिन्दुवार जानकारी के संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा तालिका (IV) में दिये गये तर्क से यह स्पष्ट होता है कि श्रीमती मर्सी सक्सेना का आवेदन पत्र क्रमांक 78 दिनांक 06.02.2023 जो चिकित्सा सुविधा मार्गदर्शन के संबंध में था में संबंधित प्रभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतएव जनसूचना अधिकारी द्वारा दिया गया उत्तर पूर्णतः स्वीकार योग्य नहीं है। वस्तुतः प्रकरण में हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत होगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपील पर निर्णय करना एक अर्द्ध–न्यायिक कार्य है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्याय केवल हो ही नहीं, बल्कि होते हुए भी दिखाई दे।

प्रकरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा 03 बिन्दुओं के माध्यम से श्रीमती मर्सी सक्सेना द्वारा प्रस्तुत पत्र कमांक 78 दिनांक 06.02.2023 जो चिकित्सा सुविधा मार्गदर्शन के संबंध में था, में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी चाही गई है। तत्संबंध में संबंधित प्रभाग के DPIO द्वारा जो जानकारी दी गई है वह विधिसंगत नहीं है।

जहॉ तक अपील का प्रश्न है संबंधित प्रभाग के DPIO प्रबंधक (समन्वय तथा प्रशासन) ट्रांसमिशन कंपनी को निर्देशित किया जाता है कि वे श्रीमती मर्सी सक्सेना का पत्र कमांक 78 दिनांक 06.02.2023 में नियमानुसार कार्यवाही कर, अपील आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर आवेदिका श्रीमति मर्सी सक्सेना तथा श्री कृपाराम सक्सेना को कृत कार्यवाही से अवगत कराये। साथ ही उत्तर प्रति जनसूचना अधिकारी को भी प्रेषित करें।

उपरोक्त निर्देशो के दृष्टिगत दर्ज अपील प्रकरण कमांक 02/2023 दिनांक 16.03.2023 एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

(हस्ताक्षर) 22/5/23

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह मुख्य अभियंता (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक– 0771–2574700

क्रमांक :– 01–01/अ.प्र.क./02/2023/2678 रायपुर, दिनांक 22 MAY 2023

प्रतिलिपि :–(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर।

(2) प्रबंधक (समन्वय तथा प्रशासन) छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि. रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(3) श्री कृपाराम सक्सेना, जगदल्ला चांपा, जिला –जांजगीर–चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।

(4) कार्यपालक निदेशक (EITC) छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर–उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव
छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग
अटल नगर, नवा रायपुर

(हस्ताक्षर) 22/5/23

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह मुख्य अभियंता (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक– 0771–2574700